

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2017—श्रावण 27, शक 1939

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2017

क्र. ई-1-195-2017-5-एक.—श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर, जिला श्योपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., आयुक्त सागर संभाग, सागर को दिनांक 24 से 29 जुलाई 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, आयुक्त, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4861

क्र. ई-5-878-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री श्रीकांत बनोट, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 28 जून से 14 जुलाई 2017 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीकांत बनोट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री श्रीकांत बनोट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीकांत बनोट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-914-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहित बुन्दस, आयएस., अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को दिनांक 29 मई से 9 जून 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री मोहित बुन्दस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहित बुन्दस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-915-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री नेहा मारव्या सिंह, आयएस., उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 3 जून 2017 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्र. ई-1-242-2017-5-एक.—श्री श्रीकांत बनोट, भाप्रसे (2009) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट

फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक), भोपाल का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री श्रीकांत बनोट द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्री श्रीकांत बनोट द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार निगम एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक), भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार निगम के अतिरिक्त प्रभार एवं श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक), भोपाल के अतिरिक्त प्रभार मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. ई-5-831-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएस., अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को दिनांक 17 जुलाई से 31 अगस्त 2017 तक, छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. ई-5-992-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 3 से 7 जुलाई 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8,9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. ई-5-480-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएस., प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 20 जून से 7 जुलाई 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब, उन्हें दिनांक 8 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-865-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएस., उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2017 द्वारा दिनांक 10 से 31 जुलाई 2017 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 24 से 31 जुलाई 2017 तक, आठ दिन संशोधित / पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई-5-963-आयएस-लीव-5-एक.—सुश्री रजनी सिंह, आयएस., उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 8 से 26 अगस्त 2017 तक, उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री रजनी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रजनी, सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्र. ई-1-245-2017-5-एक.—श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012), संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण केवल अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-247-2017-5-एक.—श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे (2011) अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-792-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 28 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण को भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11 से 21 सितम्बर 2017 तक की अवधि में शार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि यूएसए में आयोजित है के अनुक्रम में दिनांक 22 से 26 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्र. ई-5-593-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग को दिनांक 11 से 22 जुलाई 2017 तक बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश काल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-997-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष वशिष्ठ, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद, जिला भिण्ड को दिनांक 2 से 11 अगस्त 2017 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष वशिष्ठ, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष वशिष्ठ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष वशिष्ठ, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-985-आयएएस-लीव-5-एक.—सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएएस., तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, मैहर, जिला सतना [वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़] को दिनांक 24 से 29 जुलाई 2017 तक छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1036-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती सलोनी सिडाना, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 2 से 11 अगस्त 2017 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलोनी सिडाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्र. ई-1-248-2017-5-एक.—डॉ. मधु खरे, भा.प्र.से. (1997) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-843-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएस., आयुक्त, लोक शिक्षण को दिनांक 21 अगस्त से 29 सितम्बर 2017 तक, चालीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अगस्त 2017 एवं 30 सितम्बर 2017 तथा दिनांक 1, 2 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र. ई.-1-256-2017-5-एक.—श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-481-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 12 से 25 जुलाई 2017 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-261-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

#### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रभांशु कमल (1985) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) (अति. प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ).	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2017

क्र. ई.-1-259-2017-5-एक.—श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2002), पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग और प्रभारी प्रमुख राजस्व आयुक्त पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे (2000), आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई.-1-260-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

#### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, (2003), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर.
2	श्री अमर सिंह बघेल (2005), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), शहडोल संभाग, शहडोल.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री बी. आर. नायडू (1986), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
3	श्री आशीष उपाध्याय (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम.	—
4	श्री एस. एन. मिश्रा (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी.	—
5	श्री अश्विनी कुमार राय (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग.	—
6	श्री अजीत केसरी (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	—
7	श्री अशोक शाह (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) एवं संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान.	—
8	श्री के. सी. गुप्ता (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.	—
9	श्रीमती नीलम शमी राव (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	—

(2) श्री व्ही. एल. कान्ताराव, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(3) श्री अरूण कुमार पाण्डे, भाप्रसे (1992), राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(4) उपरोक्तानुसार श्री व्ही. एल. कान्ताराव एवं श्री अरूण कुमार पाण्डे द्वारा क्रमशः आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम तथा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का अतिरिक्त प्रभार केवल आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगी. अब श्रीमती दीपाली रस्तोगी की मूल पदस्थापना आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम के पद पर मानी जावेगी.

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 27 जुलाई से 8 सितम्बर 2017 तक चवालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 अगस्त से 26 सितम्बर 2017 तक चवालीस दिन का पुनरीक्षित/संशोधित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को दिनांक 28 अगस्त से 5 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 27 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. ई-1-261-2017-5-एक.—श्री व्ही. एल. कान्ताराव, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री व्ही. एल. कान्ताराव द्वारा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम केवल प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम के कार्यभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई-5-1051-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमेश कुमार, आयएएस., संचालक, एम पी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को दिनांक 7 से 27 नवम्बर 2017 तक इक्कीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, एम पी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. ई-5-968-आयएएस-लीव-5-एक.—सुश्री सोनिया मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2017 द्वारा दिनांक 10 से 22 जुलाई 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. एफ 1(ए)42-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (प.क्ष.) इन्दौर को दिनांक 1 से 31 अगस्त 2017 तक इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्री शशीन्द्र सिंह चौहान, रापुसे, समनि. विसबल इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (प.क्ष.) इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्र. एफ 1(ए)93-99-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन (अअवि) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 12 जून से 11 जुलाई 2017 तक तीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन (अअवि) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)188-91-ब-2-दो.—श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ.) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ.) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्र. एफ 1(ए)29-2013-ब-दो.—राज्य शासन श्री रियाज इकबाल, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, पन्ना को दिनांक 9 से 23 अगस्त 2017 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर कोल्लम (केरला) जाने एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रियाज इकबाल, भापुसे., का कार्य श्री आर. डी. प्रजापति, रापुसे. अति. पुलिस अधीक्षक, पन्ना द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रियाज इकबाल, भापुसे., द्वारा पुलिस अधीक्षक, पन्ना के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए)191-91-ब-2-दो-संशोधन.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2017 द्वारा जारी आदेश निरस्त करते हुए श्री अशोक अवस्थी, भापुसे. अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 जून से 9 जुलाई 2017 तक अट्ठाईस दिवस अर्जित अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ 1(ए)151-95-ब-2-दो.—श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 17 से 29 जुलाई 2017 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15-16 एवं 30 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस



महानिदेशक (एस.टी.एफ.), मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)400-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार/को-आपरेटिव्ह फ्राड) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 24 मई से 3 जून 2017 तक ग्यारह दिवस लघुकृत अवकाश

दिनांक 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 22 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-3063-17.—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 16, 26, 42 एवं 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:—

### सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
16.	होशंगाबाद	श्री उपेन्द्र सोनकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद.
26.	पन्ना	श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.
42.	उज्जैन	श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
47.	अशोकनगर	श्री वीरेन्द्र पाटीदार, सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17 (E)-44-2013-XXI-B-(1)3063-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 20th September, 2013, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 16, 26, 42 and 47 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name & Designation of the Judge (3)
“16.	Hoshangabad	Shri Upendra Sonkar, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad.
26.	Panna	Shri Amitabh Mishra, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Panna.
42.	Ujjain	Shri Alok Kumar Mishra, IXth Additional Sessions Judge, Ujjain.
47.	Ashoknagar	Shri Virendra Patidar, Sessions Judge, Ashoknagar.”

This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-3060-2017.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34, 35, 61, 67 और 68 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

#### सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“34.	श्री प्रदीप सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	श्री मयंक कुमार शुक्ला, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
61.	श्रीमती अनिता खजुरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश.	खुरई	सागर	खुरई	खुरई
67.	श्रीमती शुभांगी पालो दत्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो.	लखनादौन	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन
68.	श्री सीता शरण यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो.	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-3060-2017.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10<sup>th</sup> May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 24th May 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 34, 35, 61, 67 and 68 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"34.	Shri Pradeep Soni, 1st Additional Judge to 1st Civil Judge Class-II.	Harda	Harda	Harda	Harda
35.	Shri Mayank Kumar Shukla, IInd Civil Judge Class-II.	Hoshangbad	Hoshangbad	Hoshangbad	Hoshangbad
61.	Smt. Anita Khajuriya, Additional Judge to 1st Civil Judge Class-I.	Khurai	Sagar	Khurai	Khurai
67.	Smt. Shubhangi Palo Dutt. IInd Civil Judge Class-II.	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon
68.	Shri Seeta Sharan Yadav, IIIrd Civil Judge Class-II	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

फा. क्र. 3296-2017-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला (तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 21 जून 2017 तथा फुलकोर्ट (बाय सरक्यूलेशन) दिनांक 23 जून 2017 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला (तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर) को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किया जाए।

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उप नियम (VII) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए, एतद्द्वारा, राज्य शासन, श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला (तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर) को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

फा. क्र. 1(सी)-3447-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला शाजापुर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री गिरधारी देवतवाल, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी.-2977-98, दिनांक 21 नवम्बर 1998) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री गिरधारी देवतवाल, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 5 सितम्बर 1967 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री गिरधारी देवतवाल, अधिवक्ता, शाजापुर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फाईल क्र. 3203-इक्कीस-ब(दो),—माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन रिव्यू पिटिशन 168/2017 एवं 169/2017 (रिट अपील क्रमांक 643/2010 एवं 642/2010) के प्रकाश में राज्य शासन, एतद्द्वारा आदेश देता है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 2821/21-ब(दो), दिनांक 3 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुए, श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल, नोटरी जिला उमरिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यथास्थिति बनाए रखी जाए।

फाईल क्र. 3203-इक्कीस-ब(दो),—माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन रिव्यू पिटिशन 168/2017 एवं 169/2017 (रिट अपील क्रमांक 643/2010 एवं 642/2010) के प्रकाश में राज्य शासन, एतद्द्वारा आदेश देता है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 2821-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुए, श्री भरतलाल अग्रवाल, नोटरी जिला उमरिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यथास्थिति बनाए रखी जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामकुमार चौबे, सचिव.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. एफ 6-24-2008-चौवन-2.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग में अपने आदेश क्रमांक 1269-1956-2017-38-1, दिनांक 3 जुलाई 2017 के द्वारा डॉ. युनुस खान, सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र सरोजनी नायडु कन्या महाविद्यालय, भोपाल की सेवाएं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है।

राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. युनुस खान, सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र, सरोजनी नायडु कन्या महाविद्यालय, भोपाल की सेवाएं

प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल को आगामी आदेश तक सौंपी जाकर उनको मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा श्री एस. के. फारूकी, अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल की सेवाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल से वापस लेते हुए उनके विभाग को वापिस की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

### पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 2017

क्र. 2442-2117-2017-अठारह-5.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का. स. 6) की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 के नियम 26 में प्रावधान था :

1. अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ
2. सदस्य सचिव	रुपये 5.00 लाख तक
3. प्रशासन शाखा के प्रभारी	रुपये 1.00 लाख तक:

परन्तु अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति की दशा में चैक पर हस्ताक्षर करने की अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन सदस्य सचिव को करेगा. सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में यह अधिकार किसी अन्य अधिकारी जो अधीक्षण यंत्री या उससे निम्नतर न होगा, को प्रत्यायोजित कर सकेगा.”

### संशोधन

उक्त के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

“किसी भी बैंक में खाता खोलने/चैक पर हस्ताक्षर करने/ऑन लाईन राशि हस्तांतरित करने/ऑन लाईन आरटीजीएस (RTGS)/कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु शक्तियाँ :

(1) निम्नलिखित प्राधिकारी उनके सामने उल्लेखित सीमा हेतु अधिकृत होंगे :—

क्र.	प्राधिकृत अधिकारी	अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1	अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ
2	सदस्य सचिव	वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ. अन्य व्यय हेतु रुपये 10 लाख तक (रुपये दस लाख तक).
3	डायरेक्टर (पर्यावरण)/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी.	रुपये 5 लाख तक (रुपये पांच लाख तक).
4	क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालय प्रमुख.	वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ अन्य व्यय हेतु रुपये 5 लाख तक (रुपये पांच लाख तक).

(2) चैक पर हस्ताक्षर करने/ऑन लाईन राशि हस्तांतरित करने/ऑन लाईन आरटीजीएस(RTGS)/कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्यों के निष्पादन संबंधी अपनी शक्तियाँ अध्यक्ष, सदस्य सचिव अथवा अन्य बोर्ड के अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकेंगे.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, अपर सचिव.

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

### सूचना

क्र. एफ-3-18-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-

18-2017-अठारह-5, दिनांक 3 मार्च 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित क्रिये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

### अनुसूची

क्र	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम-चांदपुर	77/1	90.890 हैक्टेयर में से 8.00 हैक्टेयर.	कृषि	औद्योगिक
		77/356/2	3.2 हैक्टेयर	कृषि	औद्योगिक
		योग . .	11.20 हैक्टेयर		

(1) शहर की आरामिलों के विस्थापन हेतु औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा.

(2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

### सूचना

क्र. एफ-3-33-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा चाकघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. कलेक्टर, रीवा, मध्यप्रदेश.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, चाकघाट, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ-3-33-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-33-2012-बत्तीस, दिनांक 5 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 5<sup>th</sup> August 2017

## NOTICE

No. F-3-33-2012-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for, Chakghat, 2021 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District Rewa, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Rewa, Madhya Pradesh.
- (3) C.M.O., Municipal Council, Chakghat Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ-15-7-2017-सात-शाखा-6-886.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गाँवों के लिये उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए :—

## अनुसूची

तहसील: श्योपुर

जिला : श्योपुर

क्र.	पटवारी हलका क्रमांक सहित गाँवों के नाम	अधिकार—अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	1. मूल ग्राम बर्धाबुजुर्ग 2. नवीन ग्राम प्रताप नगर प.ह.नं. 33.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला—श्योपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ-15-7-2017-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-7-2017-सात-शा-6, दिनांक 5 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 5<sup>th</sup> August 2017

No. F-15-07-2017-VII-Sec.-6-886.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

## SCHEDULE

Tehsil : Sheopur

District : Sheopur

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	1. Original Village-Bardha bujurg 2. New Village-Pratapnagar P.C. No. 33	Superintendent of Land Records (regular) District-Sheopur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्र. 401-सामान्य-एक-2017-01.—जिला आगर-मालवा में पूर्व वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आगर बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी दिनांक 31 जुलाई 2017 को निकाली जाना है। जो जिले का महत्वपूर्ण पर्व है। जिला आगर-मालवा में शाही सवारी के विशेष आयोजन हेतु मैं, अजय गुप्ता, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा दिनांक 31 जुलाई 2017 को संपूर्ण जिला आगर-मालवा हेतु स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	नाम त्यौहार	दिनांक	वार	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बाबा बैजनाथ की शाही सवारी	31-7-2017	सोमवार	सम्पूर्ण जिला

अजय गुप्ता, कलेक्टर.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. संघ. ति.-विप.2017-2309.—कार्यालयीन आदेश क्र.-प्र.ते.विप.-2016-3005, दिनांक 2 नवम्बर 2016 द्वारा श्री एस. एन. कोरी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्र.-एफ-1-5-2016-पन्द्रह-2, दिनांक 16 जुलाई 2017 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एस. एन. कोरी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के स्थान पर श्री आर. आर. सिंह, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. उक्त आदेश आज दिनांक 2 अगस्त 2017 को मेरे नाम एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

आशुतोष अवस्थी, पंजीयक.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 2 अगस्त 2017

क्रमांक 15951

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रघुनाथगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची ( 1 ) :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :- ग्राम रघुनाथगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	रघुनाथगढ़	5.821
	कुलयोग :-	5.821

—: अनुसूची ( 2 ) :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :-ग्राम रघुनाथगढ़				
स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	पन्नालाल पिता तुलाराम जाति भोई	32/2	4.300	1.720
2	दयाराम प्रेम भगवानसिंह पिता धूलजी तुलसीबाई सरदारबाई लक्ष्मीबाई कब्बूबाई गंगाबाई पिता धूलजी निवासी प्रतापगंज	32/5	3.667	1.237
3	नारायण पिता छोटेलाल बिहारीलाल पिता शिवनारायण जाति भोई	33	0.253	0.215
4	शिवनारायण पिता तुलाराम जाति भोई	32/3/1	2.099	1.460
5	मधु पति सुरेन्द्र सक्सेना जाति धाकड निवासी राजगढ़	32/3/2	1.189	1.189
	कुल योग :-		11.508	5.821

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं पर-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 15953/भू-अर्जन/2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम मदापुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची(2) की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### —: अनुसूची ( 1 ) :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :—

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
(1)	(2)	(3)
1	मदापुरा	15.202
कुलयोग :—		15.202

### —: अनुसूची ( 2 ) :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम मदापुरा				
स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	(2)	3)	4)	5
1	चन्दरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	15/1/1	0.040	0.040
2	चन्दरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/3	0.097	0.097
3	चन्दरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/2	0.103	0.023
4	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	15/1/2	0.137	0.137
5	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	34/1/3	0.025	0.025
6	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	35/1/1	0.078	0.050
7	भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/1	0.030	0.030
8	भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	17/1	0.107	0.107
9	भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/4	0.026	0.026
10	भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	35/1/2	0.078	0.050
11	भगवानसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/2	0.137	0.137
12	भगवानसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/1	0.103	0.022